राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

क्रमांक : एफ17(1)( )न्याय / वि.स.चु. / 2023 / 636 दिनांक : 22.11.2023

::आदेश::

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर के पत्रांक एफ3(1)(10)/निर्वा/2023/7814 दिनांक 25.10.2023 के संलग्न मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व (पी–2) की एसओपी (निर्वाचन विभाग, राज. जयपुर का पूर्व पत्रांक 4014 दिनांक 25.08.2023) के बिन्दु संख्या 4 के सन्दर्भ में तथा इस कार्यालय की निषेधाज्ञा समसंख्यक 239–254 दिनांक 09.10.2023 के क्रम में विधानसभा आम चुनाव 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जा सके, सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु मैं **कल्पना अग्रवाल, जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अनूपगढ़ में जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निम्नानुसार आदेश जारी करती हूं कि–

1. राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रो तक लाने एवं ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
2. दिनांक 23.11.2023 को सांय 06:00 बजे के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से आये हुए समर्थक अथवा प्रचारक (राजनीतिक पदाधिकारी/पार्टी कार्यकर्ता/जुलुस या अभियान पदाधिकारी), जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर रहने पर प्रतिबन्ध होगा।
3. मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर के एरिया में कोई राजनीतिक पार्टी/उम्मीदवार/व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र –शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, बी.एल. गन/एम.एल. गन, राईफल्स व धारदार हथियार जैसे तलवार, छुरी, धारिया, बाघनख (शेर–पंजा), गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बर्छी अथवा लाठी आदि लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड, जैड सिक्यूरिटी वाले व्यक्ति अथवा राज्य तथा केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं, पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
4. दिनांक 23.11.2023 को सांय 06:00 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सभा एवं लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबन्ध रहेगा। डोर–टू–डोर सम्पर्क पर प्रतिबन्ध नहीं होगा, लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राज. जयपुर ने अपने संशोधित आदेश क्रमांक प. 4(5)वित्त/आब/2022 जयपुर, दिनांक 01.11.2023 एवं विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक प.8(2)(22)निर्वा/2023/8654 दिनांक 03.11.2023 के सन्दर्भ में राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135–ग के प्रावधानों के अनुसरण में जिला अनूपगढ़ में निम्नानुसार सूखा दिवस (23.11.2023 को सायंकाल 06:00 बजे से दिनांक 25.11.2023 को सायंकाल 06:00 बजे तक, पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक सम्बन्धित मतदान केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्रों में एवं मतगणना दिवस 03.12.2023) की पूर्ण पालना की जावें।
6. मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर एरिया में प्रचार–प्रसार नहीं होगा।
7. चुनाव परिणाम के पश्चात् विजय जुलुस पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

चूंकि यह आदेश जन–साधारण पर लागू है तथा व्यक्तियों पर व्यक्तिगत तामील करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को अनूपगढ़ जिले के मुख्य स्थानों यथा उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, नगरपरिषद/नगरपालिका कार्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं समस्त पुलिस थानों इत्यादि पर चस्पा कर, समाचार पत्रों के

जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

कमरा नं. 07 कलक्ट्रेट परिसर, अनूपगढ़ 335701
ई–मेल आई.डी. spl.anph@gmail.com
dm.anu@rajasthan.gov.in

D:\rolle Judicial\144.docx

माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

यह आदेश आज दिनांक–22.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(कल्पना अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

क्रमांक : एफ17(1)( )न्याय/वि.स.चु./2023/637-650 दिनांक : 22.11.2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय,राज. सरकार जयपुर ।
2. श्रीमान अति. मुख्य सचिव गृह विभाग राज. जयपुर
3. श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,राज. जयपुर।
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान––––––––––––––––––
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान–––––––––––––––
7. जिला पुलिस अधीक्षक, अनूपगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि समस्त थानाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाने तथा आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
8. अति जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़।
9. जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर
10. रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) (समस्त) ....
11. उप पुलिस अधीक्षक (समस्त) ....
12. तहसीलदार (समस्त) ....
13. विकास अधिकारी (समस्त) ....
14. सहायक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, अनूपगढ़।

जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़